आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर मेदिनीनगर|

विविध वाद सं० - 07/17-18

हरेन्द्र सिंह एवं अन्य ..... अपीलार्थी

बनाम

अजीज मियां एवं अन्य - विपक्षी

आदेश

आवेदकों द्वारा ग्राम - जुरु थाना - लेस्लीगंज जिला -पलामू के खाता न० 33 की भूमि की विपक्षी के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने हेतु दायर आवेदन पत्र के आलोक में यह वाद संधारित किया गया तथा अंचल अधिकारी लेस्लीगंज से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी | विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गयी | अंचल से जांच प्रतिवेदक प्राप्त नहीं हो सका |

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना |

आवेदकों का दावा है की ग्राम -जुरु थाना - लेस्लीगंज का खाता न० 33 कुल 59 प्लाट रकबा 22.44 एकड़ भूमि विगत सर्वे खतियान में बंधू सिंह के

नाम से दर्ज है।आवेदकों ने बंधू सिंह की वंशावली देते हुए दावा किया है की बंधू सिंह के मृत्यु के बाद रामकिशुन सिंह भूमि के दखल कब्जा में आये। रामकिशुन सिंह की मृत्यु के बाद पुत्र सूरजमन सिंह भूमि के दखल कब्जा में आये। सूरजमन सिंह का अपने पीछे दो पुत्रों हरेन्द्र सिंह एवं सुशिल कुमार सिंह को छोड़कर निधन हो गया।जो इस वाद में आवेदक है। पिता सूरजमन सिंह के निधन के बाद आवेदक भूमि के दखल कब्जा में है। आवेदकों का दावा है की आवेदक का आवेदकों के पूर्वजो ने किसी के साथ भूमि अंतरित नहीं की है। जबकि विपक्षी आवेदकों को बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। आवेदकों ने निवेदन किया है की विपक्षी के नाम से यदि जमाबंदी चल रही है तो वह अवैध है उसे रद्द किया जाये।

विपक्षी सं०-1 अजीज मियां का दावा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी जमींदारी उन्मूलन के बाद से विभिन्न बिक्री नामा दस्तावेज के माध्यम से नामांतरण के बाद चल रही है। यह न्यायालय नामांतरण के विरुद्ध है तथा नामांतरण से कायम जमाबंदी को विविध वाद से रद्द नहीं किया जा सकता है। विपक्षी की जमाबंदी पुरानी है, पुरानी जमाबंदी को रद्द करने करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। विपक्षी ने इस सन्दर्भ में 1978 बी.बी.सी.जे पृष्ट सं०323 एवं बी.बी.सी.जे पृष्ट सं० -805 जे .सी. आर 2004 अक्टूबर पृष्ट सं० 62 , जे

.सी .आर 2006 (सितम्बर)पृष्ट स० 430 ,2009 टी .पी. सी.आर पृष्ट स०- 57 एवं लॉ ऑफ़ म्युटेशन पृष्ट स० 46 एवं 47 पर उद्धत नियमन का हवाला दिया है, तथा नियमनो की छायाप्रति संलग्न करते हुए दावा किया है की इस न्यायलय को विपक्षी को पुरानी जमाबंदी को रद्द करने का क्षेत्राधिकार नहीं है |बल्कि इसके लिए सक्षम न्यायलय व्यवहार न्यायलय है | विपक्षी का दावा है की खतियानी रैयत बंधू सिंह ने खाता न० - 33 की भूमि दिनांक 1.4.1936 को भूतपूर्व जमींदार तुलसी सिंह वगैरह को सरेंडर कर दिया है | भूतपूर्व जमींदार ने रकबा 4.58 एकड़ भूमि निबंधित बंदोबस्ती दस्तावेज स० - 1461 दिनांक -15.5.36 से बंधू मियां को बंदोबस्त कर दखल कब्ज़ा दे दिया | तब से बंधू मियां ने भूतपूर्व जमींदार को मालगुजारी देना शुरू कर दिया तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकारी सिरिस्ते में जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रशीद निर्गत ही रही है | विपक्षी स० -1 ने बंधू मियां की वंशावली देते हुए दावा किया है की | विपक्षी बंधू मियां का परपोता है ,जो भूमि के दखल कब्ज़ा में है | बंधू मियां ने आवश्यकता वश निबंधित केवल स० -7808/1970 एवं 16461/1970 के द्वारा प्लाट न० 970 रकबा 0.79 एकड़ एवं प्लाट न० - 1177 रकबा 0.26 एकड़ विदेशी देवी पत्नी किशोरी शरण प्रसाद को बिक्री कर दखल कब्ज़ा दे दिया जिसके

P/W F

क्रमांक 1/E 7171

आधार पर दाखिल ख़ारिज होकर मालगुजारी रशीद निगत हो रही है। विपक्षी ने आगे दावा किया है की पुनिरिक्षण वाद स० - 218/2003 दफा 89 सी.एन.टी एक्ट के अंतगर्त बंदोबस्त पदाधिकारी पलामू द्वारा विपक्षी के नाम से खाता खोलने का आदेश पारित हो चूका है। कथन है की सूरजमल सिंह खतियानी रैयत के पोता ने दिनांक 20.9.2008 से विपक्षि का दखल कब्ज़ा होने का लिखित रूप से दिया है। विपक्षी का यह भी दावा है की बंधू मियाँ ने जगदेव महतो को प्लाट न० - 268 में रकबा 0.62 एकड़ एवं प्लाट न० 150 में रकबा 0.37 एकड़ भूमि निबंधित केवाला स० -5556/1958 एवं विक्रय पत्र दिनांक -5.8.68 से बिक्री कर दखल कब्ज़ा दे दिया है जिसका पांकी अंचल द्वारा दा० खा ० हो चूका है , तथा हाल सर्वे में पुनरीक्षण वाद स० - 373 /2000 से खाता खोलने का आदेश पारित हो चूका है। बंधू मियां का पोता अरजुल मियां ने भी प्लाट न० - 1352 रकबा 0.08 एवं प्लाट न० 1350 में 0.01 एकड़ भूमि वर्ष 2003 में खैरुन बीबी को बिक्री किया है, जिसका दाखिल ख़ारिज वाद स० - 919/2003 से दाखिल ख़ारिज होकर मालगुजारी रशीद निर्गत हो रही है। इसी तरह बंधू मियां का परपोता इस्लाम मियां ने प्लाट न० 1352 रकबा -0.02 एकड़ प्लाट न० 1350 रकबा 0.03 $\frac{1}{3}$ एकड़ अमीना बीबी को वर्ष 201 4 में

एवं कसमुदीन मियां ने वर्ष 2007 में प्लाट न० 1491 में रकबा 0.02½ एकड़ , प्लाट न० - 1429 रकबा 0.06½ एकड़ भूमि इशहाक अंसारी को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया जिसके आधार पर क्रेतागन के नाम से दा० खा० होकर मालगुजारी रशीद निर्गत हो रही है। विपक्षी का दावा है की प्रश्नगत खाता की भूमि के विभिन्न जमाबंदी धारी है ,किन्तु सभी जमाबंदिधारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उपरोक्त खरीद बिक्री से स्पष्ट है की विपक्षी एवं अन्य जमाबंदीधारियो के नाम से दा ० खा० होकर जमाबंदी चल रही है जो पुरानी है। दाखिल ख़ारिज से कायम जमाबंदी का विविध वाद से एवं पुरानी जमाबंदी को रद्द करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं है। विपक्षी का यह भी दावा है कि खाता न० 33 प्लाट न० 1352 एवं 1350 में विपक्षी स० -1 का आवासीय मकान है। यह मामला पलामू जिला के नन -शिडयूल एरिया में पड़ता है और वर्ष 1936 में खतियानी रैयत बंधू सिंह ने प्रश्गत भूमि सरेंडर कर दिया है इसीलिए भी यह वाद चलने योग्य नहीं है।

आवेदक ने विगत सर्वे खतियान के प्रमाणित प्रति की छाया प्रति दाखिल किया है। खाता न० -33 बंधू सिंह के नाम से रैयती दर्ज है। विपक्षी द्वारा दाखिल कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है की वर्ष

P/W F क्रमांक 1/E 7171

1936 में खतियानी रैयत ने भूमि भूतपूर्व जमींदार को सरेंडर कर दिया है।भुतपूर्व जमींदार ने विपक्षी स०।- के परदादा बंधू मियां को बंदोबस्त कर दिया है। विपक्षी द्वारा दाखिल कागजात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है की बंधू मियां के उतराधिकारियों ने विभिन्न व्यक्तियों के साथ भूमि बिक्री की है। जिसके आधार पर क्रेतागन के नाम से जमाबंदी चल रही है। हाल सर्वे में पुनरीक्षण वाद स० -373/2000 में क्रेता शिवदत्त पाल के नाम से खरीदी गयी भूमि का खाता खोलने का आदेश पारित हुआ है विपक्षी ने बंधू मियां अमीना बीबी , खैरुन विवि , इशहाक अंसारी आदि के नाम से निर्गत मालगुजारी रशीद की छाया प्रति दाखिल किया है। स्पष्ट है विपक्षी के नाम से दा० खा ० के आधार पर जमाबंदी कायम है। दाखिल ख़ारिज के कायम जमाबंदी को , दाखिल ख़ारिज अपील से रद्द करने का प्रावधान है , विविध वाद से नहीं । विपक्षी कि जमाबंदी पुरानी है तथा पुरानी जमाबंदी को रद्द करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायलय का नहीं अपितु सक्षम न्यायलय व्यवहार न्यायालय का है। इस सन्दर्भ में विपक्षी ने माननीय उच्य न्यायालय द्वारा उद्धत नियमनो की छायाप्रति दाखिल किया है।पलामू जिला का यह क्षेत्र नन-शिडयूल एरिया के अंतगर्त पड़ता है ,तथा खतियानी रैयत द्वारा वर्ष 1936 में ही भूमि सरेंडर कर दिया गया है , इसलिए भी यह वाद

चलने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदको का आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुए इस वाद भी कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर

Digitally signed by Pyare Lal
Date: 2024.07.22 06:57:29 -07:00
Location: 192.168.54.181